


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1520]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 23, 2014/श्रावण 1, 1936

No. 1520]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 23, 2014/SHRAVANA 1, 1936

ग्रामीण विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2014

का.आ. 1888(अ).—केंद्रीय सरकार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005, (2005 का 42), जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, उक्त अधिनियम की अनुसूची-I में निम्नलिखित और संशोधन करती है :—

(i) पैरा 4 के उपपैरा (1) में —

(क) मद संख्या II के शीर्ष में “व्यक्तिगत परिसंपत्तियां” शब्दों के स्थान पर “सामुदायिक परिसंपत्तियां या व्यक्तिगत परिसंपत्तियां” शब्द रखे जाएंगे;

(ख) मद संख्या III के शीर्ष में “एनआरएलएम के लिए” शब्दों के स्थान पर, “जिसके अंतर्गत एनआरएलएम के लिए भी है” शब्द रखे जाएंगे;

(ii) पैरा 4 के उपपैरा (2) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा :—

“परंतु जिला कार्यक्रम समन्वयक यह सुनिश्चित करेगा कि लागत की दृष्टि से किसी जिले में किए जाने वाले कम से कम 60 प्रतिशत कार्य भूमि, जल और वृक्षों के विकास के माध्यम से कृषि तथा तत्संबंधी कार्यकलापों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी उपयोगी परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए किए जाएं।”

(iii) पैरा 20 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :—

“ग्राम पंचायतों द्वारा प्रारंभ किए गए सभी कार्यों के लिए कुशल और अर्द्ध-कुशल श्रमिकों की मजदूरी सहित सामग्री संघटक की लागत ग्राम पंचायत स्तर पर चालीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। ग्राम पंचायतों से भिन्न अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यों के लिए कुशल और अर्द्ध-कुशल श्रमिकों की मजदूरी सहित समग्र सामग्री संघटकों की लागत जिला स्तर पर चालीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।”

[फा. सं. जे-11011/2/2010-मनरेगा]

आर. सुब्रह्मण्यम, संयुक्त सचिव

टिप्पण : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्या 42) की अनुसूची-1 में पहली बार का.आ. 323 (अ) तारीख 6 मार्च, 2007 द्वारा संशोधन किया गया और बाद में निम्नलिखित आदेशों द्वारा संशोधन किए गए :

1. का.आ. 88(अ), तारीख 14 जनवरी, 2008
2. का.आ. 1489(अ), तारीख 18 जून, 2008
3. का.आ. 3000(अ), तारीख 31 दिसम्बर, 2008
4. का.आ. 1824(अ), तारीख 22 जुलाई, 2009
5. का.आ. 1860(अ), तारीख 30 जुलाई, 2009
6. का.आ. 1484(अ), तारीख 30 जून, 2011
7. का.आ. 2202(अ), तारीख 22 सितम्बर, 2011
8. का.आ. 2423(अ), तारीख 21 अक्टूबर, 2011
9. का.आ. 1022(अ), तारीख 04 मई, 2012
10. का.आ. 2754(अ), तारीख 21 नवम्बर, 2012
11. का.आ. 164(अ), तारीख 14 जनवरी, 2013
12. का.आ. 867(अ), तारीख 01 अप्रैल, 2013
13. का.आ. 1770(अ), तारीख 20 जून, 2013
14. का.आ. 3423(अ), तारीख 11 नवम्बर, 2013
15. का.आ. 19(अ), तारीख 03 जनवरी, 2014

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 2014

S.O. 1888(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005) hereinafter referred to as the said Act, the Central Government, on being satisfied that it is necessary and expedient to do so, hereby makes the following further amendments in Schedule I to the said Act, namely:—

In the said Act, in the Schedule I,—

(i) in paragraph 4, in sub-paragraph (1), -

(a) in the heading of item II, for the words “INDIVIDUAL ASSETS”, the words “COMMUNITY ASSETS OR INDIVIDUAL ASSETS” shall be substituted;

(b) in the heading of item III, for the words “FOR NRLM”, the words “INCLUDING FOR NRLM” shall be substituted;

(ii) in paragraph 4, in sub-paragraph (2), the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that the District Programme Coordinator shall ensure that at least 60% of the works to be taken up in a district in terms of cost shall be for creation of productive assets directly linked to agriculture and allied activities through development of land, water and trees.” ;

(iii) for paragraph 20, the following shall be substituted, namely:—

“For all works taken up by the Gram Panchayats, the cost of the material component including the wages of the skilled and semi-skilled workers shall not exceed forty per cent at the Gram Panchayat level. For works taken up by the implementing agencies other than Gram Panchayats, the overall material component including the wages of the skilled and semi-skilled workers shall not exceed forty per cent at the district level.”

[F.No. J-11011/2/2010-MGNREGA]

R. SUBRAHMANYAM, Jt. Secy.

Note: Schedule I of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005) was first amended vide number S.O. 323(E), dated 6th March, 2007 and subsequently amended vide following numbers:—

1. S.O. 88(E), dated the 14th January, 2008
2. S.O. 1489(E), dated the 18th June, 2008
3. S.O. 3000(E), dated the 31st December, 2008
4. S.O. 1824(E), dated the 22nd July, 2009
5. S.O. 1860(E), dated the 30th July, 2009
6. S.O. 1484(E), dated the 30th June, 2011
7. S.O. 2202(E), dated the 22nd September, 2011
8. S.O. 2423 (E), dated the 21st October, 2011
9. S.O.1022(E), dated the 4th May, 2012
10. S.O. 2754(E), dated the 21st November, 2012
11. S.O. 164(E), dated the 14th January, 2013
12. S.O. 867(E), dated the 1st April, 2013
13. S.O. 1770(E), dated the 20th June, 2013
14. S.O. 3423(E), dated the 11th November, 2013
15. S.O. 19 (E), dated the 3rd January, 2014